रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 10 जनवरी, 2003/20 पौष, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रशिक्षण एवं विदेशी समनुदेशन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 नवम्बर, 2002

संख्या का० (प्र०)ए(3)-8/89(लूज).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 29 नवम्बर, 1995 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में लिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, लिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध "I" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 के उपाबन्ध "I" में :—

(क) स्तम्भ संख्या-2 में विद्यमान अंको और शब्दों "16(सोलह)" के स्थान पर "15(पंद्रह)" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

3227-राजपत्र/2002-10-1-2003—1,506. मूल्य : 1 रुपया ।

(ङ) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(i) 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 रुपये (मूल प्रवेश वेतन, 3220/- के प्रारम्भ के साथ) लिपिकों के लिए यह वेतनमान काडर में पदों की कुल संख्या से उन पदों को घटाकर दिया जाना है जो कि रू0 4400-7000 (कनिष्ठ सहायक) के वेतनमान में रखे गये हैं।

(ii) मु0 4400-150-5000-160-5800-200-7000 रु0 कनिष्ठ सहायकों के लिए:—

यह वेतनमान लिपिक के रूप में कम से कम 5 वर्ष के सेवाकाल के पश्चात काडर में लिपिकों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत को दिया जाना है और इन पदों के पदाधारियों को स्थापन द्वारा कनिष्ठ सहायक के रूप में पदाभिहित किया जायेगा।

(ग) विद्यमान स्तम्भ संख्या-6 में अंकों और शब्दों "18 और 35 वर्ष के मध्य" के स्थान पर "18 और 45 वर्ष" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(घ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

वर्ग-IV कर्मचारियों में से, जो 10वीं पास हो या हिन्दी रत्न सहित 10वीं कक्षा (अंग्रेजी एक विषय के रुप में) पास की हो और जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या तदर्थ सेवा यदि कोई हो सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल भी हो प्रोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि वर्ग-IV के कर्मचारियों को कार्यालय कार्य विधि टंकण तथा अक्षर योजन का प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा दो महिनें का प्रशिक्षण संस्थान में या उनके अपने-अपने जिला प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा करवाया जायेगा। प्रशिक्षित कर्मचारी ही प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे। इस प्रशिक्षण का आयोजन एक बार ही किया जाएगा परन्तु उक्त टैस्ट को प्रथम बार पास न कर सकने वाले कर्मचारियों को समय-समय पर टैस्ट पास किये जाने के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए वर्ग-IV कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी :

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

(ङ) स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।"

आदेश द्वारा,

अरविन्द कौल,
प्रधान सचिव ।

[*Authoritative English text of Government Notification No. Per. (Trg.)A(3)-8/89(loose), dated 30th November, 2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

TRAINING AND FOREIGN ASSIGNMENTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 30*th November*, 2002

No. Per.(Trg.) A(3)-8/89(Loose).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules to amend the Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Clerk, (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified *vide* this Department Notification of even number dated 29th November, 1995, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Clerk (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2002.

(*ii*) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure* "I".—In Annexure "I" to the Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Clerk (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995:—

(*a*) In the existing Column No. 2, for figures and words "16(Sixteen)" the figures and words "15 (Fifteen)" shall be substituted;

(*b*) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

(*i*) Rs. 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 (basic entry scale with initial start of Rs. 3220/-)

For Clerks.—This scale is to be given to the total number of posts in the cadre minus the post which are to be placed in the scale of Rs. 4400-7000 (Junior Assistant)

(*ii*) Rs. 4400-150-5000-160-5800-200-7000.

For Junior Assistant—This scale is to be given to 50% of the total number of posts of Clerks in the cadre after a minum of 5 years service as a Clerk in the cadre and incumbent of these posts shall be designated as Junior Assistant by placement.

(*c*) In the existing Column No. 6, for figures and words "Between 18 and 35 years" the figures and words "Between 18 and 45 years" shall be substituted.

(*d*) For the existing provisions against column No. 11 the following shall be subsituted, namely :—

"By promotion from amongst the Class-IV Officials who have passed Matric or Hindi (Rattan) with Matric (English) as one of the subject and also 5 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any;

Provided that the two months training to the eligible Class-IV person will be given in office procedure, type writing and word processing through HIPA either at the Institute or at their respective Training Centres. Trained candidates will be eligible for promotion. Training will be held only once but opportunity for appearing in the test will be given from time to time to those who are unable to pass the test in one go.

For the purpose of promotion a combined seniority list of Class-IV employees on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise *inter-se* seniority, shall also be prescribed:
(1) In all cases of promotion the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in those Rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that:

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the povisions of rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* services rendered as referred to above shall remain unchanged.

(*e*) For the existing provisions against Column, No. 14, the following shall be substituted, namely :—

"A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India."

By order,

ARVIND KAUL,
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।